"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366] नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 जुलाई 2026 — आषाढ़ 16, शक 1948

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–1/2010/रास/यू.–2.— इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 26(2)(iii) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय कुलाधिपति द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रबंध मण्डल में निम्नानुसार सदस्यों का नामनिर्देशन किया गया है :–

Agriculture

Dr. Bidyut Chandan Deka
Former Vice-Chancellor,
Assam Agricultural University,
Jorahat (Assam) – 785013

Veterinary, Fisheries and Dairy

Retired Professor (Dr.) Ranajit Roychoudhury
Department of Livestock Production and Management,
College of Veterinary Science, Assam Agricultural University,
Khanapara, Guwahati – 781 022.

Agricultural Engineering

Prof. (Dr.) K.P. Yadav,
Vice-Chancellor,
Mats University, Raipur (C.G.)

हस्ता./–

(सी.आर. प्रसन्ना)
राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.